छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक एफ 2–6 / 06 / (6)52 — रायपुर, दिनांक

प्रति

1/ संचालक,
ग्रामोद्योग संचालनालय,
हाथकरघा / रेशम प्रभाग,
रायपुर

2/ प्रबंध संचालक
छ0ग0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड /
छ0ग0 हस्तशिल्प विकास बोर्ड,
रायपुर

18 JUL 2008

विषय – सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन ।

---00---

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के संबंध में दिनांक 25.06.2008 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये –

1. रिकार्ड रूम अच्छी प्रकार रखा जाए, कोशिश करें कि **Computerise** किया जाए ।
2. अधिक से अधिक सहायक जन सूचना अधिकारी बनाए जाए ।
3. सहायक जन सूचना अधिकारी का कार्य आवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।
4. प्रशिक्षण का कार्य हर स्तर पर किया जाये । जहां प्रशिक्षण न हुआ हो, वहां आयोजित करें ।
5. प्रथम अपीलीय अधिकारी सुनवाई उचित ढंग से करें–दोनों पक्षों की सुनवाई समय पर करें ।
6. सूचना के अधिकार का प्रचार–प्रसार अधिक से अधिक करें ।
7. भ्रमण / **Tour** में सभी अधिकारी सूचना के अधिकार की कार्यवाही देखें तथा निरीक्षण टीप में रखें । वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में सूचना का अधिकार विषय वस्तु रखी जाए ।
8. धारा 4 की जानकारी हर साल **Update** की जाए ताकि पुरानी जानकारी भ्रम का कारण न बने ।
9. कार्यालयों में सूचना के अधिकार के नोटिस बोर्ड लगने चाहिए ताकि जनता को ज्ञात रहे।
10. **NGO** को **Grant-in-aid** जारी करने के पूर्व यह प्रमाण–पत्र लिया जाए कि उन्होंने जन–सूचना व सहायक जन–सूचना अधिकारी **appoint** किया है ।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए एवं समय-समय पर जारी आयोग के अन्य आदेशों का भी पालन किया जाए ।

JUL 2008

(सी०के०खेतान)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग

पृ०क्रमांक एफ 2–6 / 06 / (6)52 — रायपुर, दिनांक 05-07-08

प्रतिलिपि –

1. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
2. आयुक्त राज्य सूचना आयोग, निर्माण भवन, मेरा बाजार रोड, रायपुर ।

4/7/2008

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग